

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊ: 17 अगस्त, 2026

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम-64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त-2026 में जनपद अयोध्या में दिनांक 20.08.2026 व 21.08.2026 को युगल पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित युगलपीठ में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 कानपुर सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 17.08.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0/924 /2026 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-अयोध्या।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर।
- 2- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,



(वीरेन्द्र कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।